HRA 4543 The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

No. 129]

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 जून, 2009

सं. एल-7/105(121)/2007-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्वाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 है को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

- विनियम 8 के खंड (4) की दूसरे परंतुक में, "विनियम
 के खंड (1)" शब्दों तथा अंकों का लोप किया जाएगा।
- विनियम 25 के खंड (6) में, "अंत:राज्यिक इकाई" वाक्यांश के स्थान पर "राज्य उपयोगिता" वाक्यांश रखे जाएंगे।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 7 फरवरी, 2008 को प्रकाशित किए गए थे। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 29 मई. 2009 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CORRIGENDA

New Delhi, the 10th June, 2009

No. L-7/105(121)/2007-CERC.—The following regulations of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 as amended vide the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 shall be corrected as under, namely:—

- 1. In the second proviso to clause (4) of regulation 8, the words and figures "under clause (1) of regulation 9" shall be omitted.
- 2. In clause (6) of regulation 25, the phrase "an Inter-State entity" shall be substituted by the phrase "a State utility".

ALOK KUMAR, Secy. [ADVT III/4/150/09-Extv.]

Notes: The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 7th February, 2008. The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 29th May, 2009.